

23-10-08
 आदिमोक्ष उपस्थापित। - वाता हेमर की को (संस्था)
 प्रथम श्रेणी प्रति वेदन असास। पुनः दिनांक 23-10-08
 को रहीं। श्रेणी प्रति वेदन विलम्ब से प्राप्त।
 सख्त ७०

23-10-08

रचना हेमर की को है वाता ही 75 ई
 आदिमोक्ष प्रथम श्रेणी प्रति वेदन असास। पुनः दिनांक 23-10-08
 को रहीं। श्रेणी प्रति वेदन विलम्ब से प्राप्त।
 सख्त ७०

आदिमोक्ष दिनांक 20-11-08 को (10%)

₹ 5000/-

23.10.08

20-11-08

आदिमोक्ष उपस्थापित दिनांक 20-11-08 को (10%)
 प्रथम श्रेणी प्रति वेदन असास। पुनः दिनांक 23-10-08
 को रहीं। श्रेणी प्रति वेदन विलम्ब से प्राप्त।
 सख्त ७०

₹ 5000/-

20/11/08


20-12-08

आदिमोक्ष उपस्थापित दिनांक 20-11-08 को (10%)
 प्रथम श्रेणी प्रति वेदन असास। पुनः दिनांक 23-10-08
 को रहीं। श्रेणी प्रति वेदन विलम्ब से प्राप्त।
 सख्त ७०

आदिमोक्ष उपस्थापित दिनांक 20-11-08 को (10%)
 प्रथम श्रेणी प्रति वेदन असास। पुनः दिनांक 23-10-08
 को रहीं। श्रेणी प्रति वेदन विलम्ब से प्राप्त।
 सख्त ७०

असास वाता नं. 38 सख्त 944

₹ 5000/-



Case 485 (11) dated 6.12.08 Page - 17

क्रमांक तथा
आदेश की तिथि


आदेश तथा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पारित आदेश पर किया
गया अनुपालन टिप्पण

खाना रैमन मिर्चा गोप को अरु गोप
को भीखु गोप मिना बनयाली गोप के
नाम खरीदत दिया जाता है।

खरीदत खाना रैमन के नाम
लगान निष्कीण तालिका भीखु खरीदत
है।

Secund.
4.12.08.



1232
11/12/08

19.12.08

आदेशानुसार अर्थीन इतर लगान शरीर
व्यय 1971-72 किया गया। गोप 4112-8(2) का
34-अ/1/2 / लगान 1839-00 (जिसका आदेश
अध्याय (2) अध्याय 214 मिना (2) के नाम पर है) का
यह लगान वर्ष 1971-72 में देय होगा (इसकी प्रतिलिपि
अनुपालन में है।)

Handwritten signature and initials

प्रतिलिपिक
रसाक्षर
1.2.16

तुलना किया
11/12/08

Certified to be True Copy
Head Clerk to the Settlement office
is authorized U/s 76 of the
Indian Evidence Act. 1872



छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा - 85(2) विवरणी लगान निर्धारण संबंधी
 वार्ड नं० 180/08 जाँच प्रतिवेदन वार्ड नं० 17



- 1 आवेदिक / आवेदिका का नाम : मिर्जा गौप बाबा काँड़ गौप काँड़ गौप
- 2 पिता / पति का नाम : बनमाली गौप निवासी : निज वार्ड
- 3 आवेदित भूमि का खाता सं० : 38 रकबा 0.74.40 वार्ड सं० 17
- अधिसूचित क्षेत्र / नगरपालिका क्षेत्र : जयश्रीपुर
- 4 आधिकारिक अभिलेख में आवेदिक/खाता किनके नाम पर है : स्वयं खातेदार
- 5 आवेदिक का खातादार से सम्बन्ध : स्वयं
- 6 आवेदन का खातेदार / उत्तराधिकारी ने दिया है अथवा क्रय/विक्रय की जमीन है, पूर्ण विवरण दें : स्वयं
- 7 आवेदित खाता में कुल कितने प्लॉट एवं कितना रकबा है : एक प्लॉट तथा रकबा 0.74.40
- 8 खाता अधीन प्लॉटवार रकबा, खातियानी किस्त एवं भौतिक जाँच में वर्तमान पाया गया किस्म तथा किस रूप में व्यवहार किया जाता है

1232
 1/2

| क्रमांक | प्लॉट सं० | प्लॉट का कुल क्षेत्रफल | खातियानी किस्त | वर्तमान किस्म | किस रूप में व्यवहार में है | मंतव्य |
|---------|-----------|------------------------|----------------|---------------|----------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

38 944 0.74.40 दोन एक दोन दो जात भवाय आवेदिक

जाँचकर्ता का मंतव्य

आदेशानुसार अंशित भूखण्ड का प्लॉट गौप
 गौप का गौप आवेदक के लिये किया खाता
 38 प्लॉट नं० 944 रकबा 0.74.40 एक किस्त दोन
 दोन दोन दोन मिर्जा गौप का काँड़ गौप काँड़ गौप
 गौप पिता बनमाली गौप अंशित भूखण्ड का ही है
 प्लॉटवार रकबा है

अतः उपरोक्त प्लॉट नं० 944 रकबा
 0.74.40 एक का लगान जाँचकर्ता मिर्जा गौप काँड़ गौप के
 से किया जा रहा है आवेदक

तुलना किया जा रहा है अतः संपूर्ण
 तिथि 25.9.08



आवेदक
 1.7.16

